उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-04/2025/65/एक-1-2025-1-1/31/2025

लखनऊः दिनांकः 05 मार्च, 2025

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या-716/सात-डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 28-03-2023 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-आर 611/5-75/2023, दिनांक 31-01-2025 के क्रम में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) यथा संशोधित उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा-59 की उपधारा (4)(क) (दो) में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया ग्राम मोडकला, परगना हस्तिनापुर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ की खतौनी खाता संख्या-198, खसरा संख्या-243 रकबा 0.1140 हे0 श्रेणी 5-3-ड. बंजर भूमि को श्रेणी-6-(3) श्मशान भूमि के रूप में श्रेणी परिवर्तन किये जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती है:-

(1) ग्राम मोडकला, परगना हस्तिनापुर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ स्थित बंजर भूमि खसरा संख्या-243/0.1140 को श्रेणी-6-(3) श्मशान भूमि के रूप में परिवर्तित किये जाने के पश्चात उक्त भूमि ग्राम सभा की आरक्षित श्रेणी की भूमि समझी जायेगी।

(2) कलेक्टर द्वारा ग्राम मोडकला, परगना हस्तिनापुर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ स्थित बंजर भूमि खसरा संख्या-243/0.1140 को सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि श्रेणी-6-(3) श्मशान के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(3) श्रेणी परिवर्तन के पश्चात् भी उक्त भूमि ग्राम सभा के प्रबन्धन में निहित समझी जायेगी।

(4) श्मशान के रूप में दर्ज उक्त भूमि का उपयोग ग्राम वासियों द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जायेगा।

(5) कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(6) कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिलाधिकारी, मेरठ।
3- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम रतन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in